238 (4) बोर्ड स्तर के कार्यपालकों द्वारा स्टाफ कार का अनन्य उपयोग–अनुदेशों का समेकन

सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को समय–समय पर मुख्य कार्यपालकों और बोर्ड स्तर पर नियुक्त कार्यात्मक निदेशकों द्वारा स्टाफ कार के उपयोग के बारे में अनुदेश जारी किए हैं। प्राय: इस विभाग में विभिन्न मामलों पर स्पष्टीकरण की मांग करते हुए प्रार्थना पत्रों प्राप्त होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/प्रशासनिक मंत्रालयों के लाभ के लिए इनकी पुनरु जांच की गयी है, तथा स्टाफ कार के उपयोग पर पुनरीक्षित और संशोधित दिशानिर्देशों का निम्नानुसार समेकित व संक्षेप में उल्लेख किया गया है । यह तुरन्त लागू होंगे।

1. स्टाफ कारों हेतु कार के प्रकार

सा. क्षेत्र के उद्यमों को स्टाफकार के उद्देश्य से केवल अम्बेस्डर, फिएट, प्रीमियम पद्यिनी, मारूति, मारूति–वेन (ऊंची/चपटी छतों सहित) और जिप्सी ही खरीदनी चाहिए। विदेशों में निर्मित महंगी कारें नहीं खरीदनी चाहिए । गैर–वातानुकूलित कारों को वातानुकूलित कारों में बदला नहीं जाना चाहिए। सा.क्षेत्र के उद्यमों से संबंधित प्रत्येक कार के आगे एवं पीछे की नम्बर प्लेट पर उद्यम का नाम प्रदर्शित किया जाना चाहिए। तथापि, नई स्टाफ कार की खरीद या वर्तमान कारों के प्रतिस्थापन हेतु दिया गया प्रस्ताव निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।

2. स्टाफ कारों की विशिष्ट सुविधा

अनुसूची ''क'' सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के मुख्य कार्यपालक ड्यूटी तथा गैर–ड्यूटी यात्राओं के लिए वातानुकूलित कारों को प्रयोग करने की अनुमति होनी चाहिए पर सकते हैं। गैर–ड्यूटी यात्राओं के लिए वर्तमान सीमा जरी रहेगी। अन्य बोर्ड स्तरीय अधिकारी ड्यूटी तथा गैर–ड्यूटी यात्राओं के लिए गैर–वातानुकूलित कार रखेंगे। गैर–ड्यूटी के लिए सीमाएं निम्नानुसार होगेरू–

शहर का नाम	**गैर–ड्यूटी यात्रओं के लिए सीमा**
दिल्ली, मुंबई, कोलकाता चेन्नै, बंगलोर व हैदराबाद	1000 किलोमीटर प्रतिमाह
अन्य शहरों के लिए	750 किलोमीटर प्रतिमाह

आवास और कार्यालय नौकरी स्थल के बीच की यात्रा को ड्यूटी यात्रा माना जाएगा।

3. स्टॉफ कार के निजी उपयोग के लिए वसूली

केवल अनुसूची ''क'' के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के मुख्य कार्यपालक गैर–ड्यूटी यात्रओं के लिए वातानुकूलित कारों का प्रयोग कर सकेंगे तथा गैर–ड्यूटी यात्राओं के लिए वसूली जाने वला रकम निम्नानुसार होगी:–

गैर–वातानुकूलित कार रू. प्रतिमाह

16 एच पी से कम 325

16 एच पी से अधिक 490

वातानुकूलित कार रू. प्रतिमाह

अनुसूची ''क'' के लो. उ. के

मुख्य कार्यपालकों के लिए

16 एच पी से कम	520
16 एच पी से अधिक	780

4. **छुट्टी अनुपस्थिति के दौरान स्टॉफ कार का उपयोग**

पात्र कार्यपालकों को स्टाफ कार के निजी प्रयोग की सुविधा छुट्टी के दौरान अधिकतम 2 माह के लिए दी जा सकती है, बशर्तें यह अवधि मुख्यालय में ही गुजारी जाती है। संबंधित कार्यपालक जो लगातार एक पखवाड़े तक मुख्यालय से अनुपस्थित रहता है, तो उसके पारिवारिक सदस्य उसे आबंटित स्टॉफ कार की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं बशर्ते कि वे निजी प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट दरों का भुगतान करने को सहमत हों जिसमें की प्रापल्शन लागत भी शामिल हो।

5. **मुख्यालय के अलावा अन्य किसी स्थान पर निजी प्रयोगार्थ स्टाफ कार की सुविधा:**

कार्यपालक को आबंटित स्टाफ कार का निजी प्रयोग सामान्यत: मुख्यालय की सीमा तक, जहां पर संबंधित कार्यपालक नियुक्त हैं, प्रतिबंधित है। यदि कोई कार्यपालक किसी अन्य स्थान पर अस्थाई रूप से ड्यूटी के दौरान स्टाफ कार मुख्यालय से बाहर ले जाता है, तो उसे ऊपर संदर्भित निजी प्रयोग हेतु समस्त सीमाओं के भीतर स्टाफ कार के निजी प्रयोग की अनुमति दी जा सकती है।

6. **बोर्ड स्तर के नीचे के महत्वपूर्ण अधिकारी व अन्य कार्यपालक**

महत्वपूर्ण अधिकारी, यथा कार्यकारी निदेशक महाप्रबंधक/घटक इकाइयों के प्रभारियों को कार्यालय प्रयोजनार्थ स्टाफ कार की अनुमति प्रदान की जा सकती है। ये कार्यपालक स्टॉफ कार के निजी प्रयोजनार्थ हकदार नहीं हैं। महत्वपूर्ण अधिकारियों के अलावा अन्य कार्यपालकों को अनुमोदित दरों पर वाहन प्रतिपूर्ति या वाहन भत्ते का भुगतान किया जाना चाहिए।

7. यह पहले जारी किए गए सभी निदेशों के अधिक्रमण में है। सभी प्रशासनिक मंत्रालय/भारत सरकार के कार्यालयों से अनुरोध है कि वे पूर्वगामी को आवश्यक कार्रवाई हेतु अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रमों को सूचित करें।

(लो.उ.वि. का 26 मार्च, 1999 का कार्या. ज्ञापन सं. 2(53)/90–डी पी ई (डब्ल्यू सी)–जी–IV)